

**अधिसूचना संख्या 202/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1989(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 228(ई) दिनांक 17 मार्च, 1994 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी; केन्द्र सरकार ने क्रमांक 6 पर, "ग्रामीण गरीबों और आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन के लिए 15 से 35 वर्ष की आयु के आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए आय सृजन गतिविधियां, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योग) को बढ़ावा देना और कम लागत वाले घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण गरीबों की मदद करना" को "सेवा-ग्रामीण (शिक्षा, कल्याण और कार्य-ग्रामीण सोसायटी), कार्यालय एवं डाकघर झगड़िया, जिला भरूच-393110" द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था; जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ. 403(ई) दिनांक 6 जून, 1996 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ.748(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 1999 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ.986(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 2002 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ.508(ई) दिनांक 4 अप्रैल, 2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1297(ई) दिनांक 4 जून, 2008 के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 से शुरू होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ.1383(ई) दिनांक 14.6.2011 के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ.437(ई) दिनांक 11.02.2015 के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ.986(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 2002 द्वारा अनुमानित लागत 418.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 518.50 लाख रुपये कर दी गई थी, जिसमें 100.00 लाख रुपये की मूल निधि भी शामिल है और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ.1383(ई) दिनांक 14.6.2011 द्वारा परियोजना लागत '100 लाख रुपये की मूल निधि सहित 518.50 लाख रुपये' से बढ़ाकर '205 लाख रुपये की मूल निधि सहित 918.45 लाख रुपये' कर दी गई थी और परियोजना लागत को अधिसूचना संख्या एस.ओ.437(ई) दिनांक 11.02.2015 द्वारा '205 लाख रुपये की मूल निधि सहित 918.45 लाख रुपये' से *आगे* बढ़ाकर 205 लाख रुपये की मूल निधि सहित 2297 लाख रुपये कर दी गई थी;

और जबकि 205 लाख रुपये की कोष निधि सहित 2297 लाख रुपये की परियोजना लागत को 498 लाख रुपये की कोष निधि सहित 2297 लाख रुपये के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है;

और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का उचित ढंग से निष्पादन किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के तहत अनुमोदित अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के लिए परियोजना लागत को 205 लाख रुपये की मूल निधि सहित 2297 लाख रुपये से बढ़ाकर 498 लाख रुपये की मूल निधि सहित 2297 लाख रुपये करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ.228(ई) दिनांक 17 मार्च, 1994 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत अधिकतम लागत से संबंधित, क्रम संख्या

6 के समक्ष तालिका में, कॉलम (4) में, "205 लाख रुपये की एक कोष निधि सहित 2297 लाख रुपये" अक्षरों, आंकड़ों और शब्द के स्थान पर "498 लाख रुपये की एक कोष निधि सहित 2297 लाख रुपये" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

■ ■